




# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....सहायक कलक्टर  
मुकाम.....(SDO) बाड़मेर  
.....रमेश कुमार वगैराह .....बनाम.....रूपाराम वगैराह.....

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. नं. ....108... सन 2020

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	<p>प्रार्थी रमेश कुमार वगैराह ओर से वकील श्री अमित कुमार धनदे द्वारा यह द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदन पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।</li> <li>2. पक्षकारान पूर्ण है।</li> <li>3. स्टाम्प पूर्ण है।</li> <li>4. दर्ज योग्य है।</li> </ol> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलक्टर                      (SDO) बाड़मेर                 </p>	
<p>04.9.20</p> <p>08/09/20</p>	<p>प्रार्थी रमेश कुमार वगैराह ओर से वकील श्री अमित कुमार धनदे द्वारा यह द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक...18/09/20को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलक्टर                      (SDO) बाड़मेर                 </p> <p>वकील वादी के आवेदन पर मूल वाद के लक्ष्य पर पत्रावली प्रेष हुई। मूल वाद सं. 42/20 के लक्ष्य पर पत्रावली प्रेष हुई। मूल नद्वारे विद्वां जायज किमा जा चुका है। ऐसी तर्क से इस आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहे व मूल आवेदन वाली दिये पर जायज किमा जात है पत्रावली कुमार केबत होकर दाखल दस्तावेज है।</p> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलक्टर                      (SDO) बाड़मेर                 </p>	